बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार प्रसार पदाधिकारी, (उद्योग एवं वाणिज्य) संवर्ग नियमावली 2008 तथा महिला प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2008 के नियम 6(क) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता संबंधी शर्त के शिथिलीकरण के संबंध में ।**

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों यथा - सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 6467 / 6263/2007, एम.जे.सी.सं. 2635/2008 के निर्णयों में प्रसार पदाधिकारीयों को सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रणाधीन प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) तथा महिला प्रसार पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से सरकारी सेवक घोषित करते हुए दोनों संवर्गों की नियमावली का गठन किया गया है, तथा इनकी सेवा संपुष्ट करके देय लाभ प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई की गई है ।

2. उक्त संवर्गों के पदाधिकारियों की संवर्गीय नियमावली के नियम 6(क) में इनकी सेवा संपुष्टि हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त को अनिवार्य किया गया है । इन संवर्गों के लिए विभागीय परीक्षा का कभी आयोजन नहीं हुआ है तथा राजस्व पर्षद द्वारा इनकी परीक्षा आयोजन में असमर्थता व्यक्त की गई है । फलत: न्यायादेश के अनुरूप देय सुविधाओं के कार्यान्वयन में बाधा हो रही है जिसके निराकरण हेतु उक्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त का शिथिलीकरण विचाराधीन था ।

3. सम्यक विचारोपरान्त ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्तमान समय तक नियुक्त सभी प्रसार पदाधिकारी (उ. एवं वा.) तथा महिला प्रसार पदाधिकारी के संदर्भ संवर्गीय नियमावली 2008 के नियम 6(क) में विहित विभागीय परीक्षा की उतीर्णता संबंधी प्रावधान को नियुक्ति विभाग के परिपत्र सं0 11505 दिनांक 28.11.1956, 14813, दिनांक 20.11.1959 तथा 10270 दिनांक 25.07.1962 के आलोक में शिथिल किया जाता है ।

4. इसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

विहार राज्यपाल के आदेश से

(एस.एम. राजु)
सचिव 27/6/14

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3(6)प्रसार पदा0-0211/2010 190282 पटना, दिनांक:- 01/07/14

प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सीडी सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करायी जॉय ।

सचिव 27/6/14

My Document/Document Folder/NAVKANT CHAUDHARY/Letter- 5

(P.T.O.)

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3(6)प्रसार पदा0-0211/2010 190282 पटना, दिनांक:- 01/07/14

प्रतिलिपि:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2014, मद संख्या 04 के निर्णय के कार्यान्वयन के सूचनार्थ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3(6)प्रसार पदा0-0211/2010 190282 पटना, दिनांक:- 1/7/14 27/6/14

प्रतिलिपि:- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रसार पदाधिकारी (उ. एवं वा.)/सभी महिला प्रसार पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 27/6/14

ज्ञापांक ग्रा0वि0-3(6)प्रसार पदा0-0211/2010 190282 पटना, दिनांक:- 01/07/14

प्रतिलिपि आई.टी. प्रबंधक ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सचिव 27/6/14